बशीधर बनाम सोहनलाल वगै0
प्रार्थना पत्र सं0 72/22
58

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– ~~72~~ 58 /2022 पुराना, 147/23 नया दायर तारीख :– 25.07.2022

1. बशीधर रैगर पुत्र श्री नारायण लाल जाति रैगर निवासी लालासर

प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र किशनाराम
2. रामोवतार पुत्र किशनाराम
3. प्रहलाद पुत्र किशनाराम
4. सावरमल पुत्र किशनाराम
5. बृजेश पुत्र किशनाराम
6. दुर्गादेवी पुत्र किशनाराम
   समस्त जाति रैगर निवासीयान कि0 रेनवाल जिला जयपुर।
7. राकेश पुत्र भागीरथ
8. मुनीम पुत्र भागीरथ
   समस्त जाति रैगर निवासीयान लालासर तह0 कि0 रेनवाल हाल निवासी झिल्लाई तह0 निवाई जिला टोकं
9. जगदीश रैगर पुत्र नारायण लाल
10. श्यामलाल पुत्र श्री नारायण लाल
11. अर्जुनलाल पुत्र श्री नारायणलाल
    समस्त जाति रैगर निवासीयान लालासर तह0 कि0 रेनवाल
12. तहसीलदार कि0 रेनवाल।
13. उप पंजीयक कि0 रेनवाल।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र परिहार , विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जयंत चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक 25/6/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 स्व0 श्योबक्स के वंशज है। आराजी खसरा नम्बर 693 रकबा 0.8472 हैक्टैयर वाके ग्राम लालासर तह0 कि0 रेनवाल में स्थित है। जिसका परचा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 के दादा श्योबक्स पुत्र सेवाराम के नाम से जारी हुआ था और जमाबन्दी सवंत 2035 से 2038 में भी उक्त आराजीयात वादी के दादा श्योबक्स पुत्र सेवाराम की खातेदारी में जद्र है। इस प्रकार उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 की पुश्तैनी आराजीयात है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 09,10,11 व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 08 के पिता मृतक किशनाराम नारायण, भागीरथ तीनो भाई काबिज काश्त चले आ रहे थे। जो मृतक श्योबक्स के जीवनकाल से ही काबिज काश्त होकर उक्त भूमि को अपने अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते आये है। तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 09, 10,11 का उक्त आराजीयात में संयुक्त 1/3 हिस्सा है तथा मृतक श्योबक्स की मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 09,10,11 के विरासत का नामांतरण बराबर बराबर खोला ही खुलवा लिया। तथा किशनाराम व भागीरथ दोनो की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ल0 08 ने अपने नाम नामांतकरण खुलवा लिया तथा मृतक किशनाराम की पत्नी भागोती देवी के नाम 1/14 हिस्से का नामांतकरण खुल गया तथा भागोती देवी की मृत्यु हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01ल 0 11 के दादा श्योबक्स के स्वर्गवास होने के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

नम्बर 1 में वर्णित सिजरा में जो नारायण को श्योबक्स का पुत्र बताया ह। उसमें नारायण को श्योबक्स ने अपने जीवन काल में गोद दे दिया था। इसलिए श्योबक्स की आराजीयात से नारायण का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी ने सिजरा खानदान गलत अंकित किया है। सिजरे में नारायण जो बालू के गोद चला गया था। वह अंकित नहीं है। नारायणलाल कभी भी प्रतिवादी गण वउनके पिता किशनराम व भागीरथ के साथ काबिज काश्त होकर वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं किया है। आज भी वादी ग्रस्त भूमिपर प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 08 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। सव0 नारायण लाल गोद चले जाने के पश्चात अपने दत्तक पिता के साथ रहकर ही उनकी सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करता आया था। वादी व प्रतिवादी संख्या 09 ल0 11 के पिता नारायणला बचपन में ही गौद स्व0 श्योबक्स के जीवनकाल में गोद चला गया था। इसलिए वादग्रस्त भूमि से वादी, प्रतिवादी सं 09 ल0 11 व स्व0 नारायण लाल का प्रतिवादी संख्या 01 ल0 08 की आराजीयात से कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है। वादग्रस्त आराजीयात में केवल प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 के पिता स्व 0 किशनराम व प्रतिवादी संख्या 07 ल0 08 के पिता स्व0 भागीरथ दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा होने से प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी के पिता स्व0 नारायण का वादग्रस्त भूमि में कोई 1/3 हिस्सा कभी नहीं रहा है। नारायणलाल स्व0 श्योबक्स के जीवनकाल में अन्य व्यक्ति के गोद चला गया था। इसलिए उसका श्योबक्स की आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है। दिनांक 22.07.22 का वाका वादी ने कतई गलत आधारो पर वर्णित किया है। प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 09 ल0 11 का किसी प्रकार से वाद ग्रस्त आराजीयात से सरोकार नही है। क्यो कि प्रतिवादी संख्या 01 ल0 08 के दादा श्योबक्स के तीन संतान किशनराम , नारायणलाल, भागीरथ हुये थे। किन्तु नारायणलाल अपने पिता श्योबक्स के जीवनकाल में बचपन में ही अन्य व्यक्ति के गोद चला गया था। जिसके कारण श्योबक्त की उपरोक्त आराजीयात से नारायण लाल का कोई सम्बन्ध व सरोकर नहीं रहा था।इसलिए वादग्रस्त आराजीयात में केवल मात्र किशनराम व भागीरथ का ही 1/2, 1/2 हिस्सा रहा था और इनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादी सख्या 07 व 08 सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हे। इसलिए वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 ल0 08 ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी बंशीधर का पिता नारायणलाल गोद चला गया था। जिसके कारण श्योबक्त पुत्र सेवाराम की आराजीयात में उसका किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं था। क्यो कि वादी का पिता बालू के गोद जाने के पश्चात उसकी विरासत में उसने सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया था। इसलिए श्योबक्स की विरासत से उसका किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं हो रहा था तथा पुराने राशनकार्ड व जमाबन्दी में नारायणलाल रैगर पुत्र बालूराम दर्ज किया हुआ है। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है तथा वादी का वाद व प्रार्थना पत्र पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी नहीं है। चूंकित वादी का पिता नारायणलाल गोद चला गयाथ जिसमें उसने दत्तक पिता बालू के हिस्से में सम्पूर्ण आराजीयात प्राप्त कर ली थी। श्योबक्स पुत्र सेवाराम ने अपने पुत्र नारायणलाल को बालू के गोद देने के पश्चात श्योबक्स की आराजीयात में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा था। इसलिए श्योबक्स की मृत्यु के प्श्चात विरासत का नामांतकरण भी किशनाराम व भागीरथ के 25.01.1983 में खोला गया

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

था। जो विधि सम्मत था तथा दिनांक 13.07.2004 में किशनाराम व भागीरथ के मध्य जमीन व कुंआ व चल व अचल सम्पत्ति का विभाजन हुआ था। जिसमें वादी व उसके पिता नारायणलाल ने उक्त विभाजन की लिखावट पर अपने हस्ताक्षर किय थे। जिस समय भी वादी व उसके पिता नारायणलाल ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं की थी। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी नहीं है और वादी कोई घोषणा पाने का अधिकारी नहीं है। तथा वादी का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 10,11 की ओर वकील जगवीर सेवदा ने वकालतनामा पेश किया तथा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के दादा श्योराम की है। इसलिए वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

चूकि विवादग्रस्त आराजीयात है। जिससे वाद भूमि को आगे अतंरण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है वादभूमि के अतरंण होने से प्रार्थी को नए पक्षकारों के साथ वाद लड़ना होगा, वाद व प्रार्थना पत्र के नए पक्षकार जुड़ेगे, वाद भूमि के विक्रय व खुर्दबुर्द होने से प्रार्थी वादभूमि में अपने हक हिस्सा से वंचित हो जायेगे जिस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी।

वाद भूमि के विक्रय से वाद विलष्टता व वाद बहुलता की संम्भावना है जिससे पक्षकारान को असुविधा व क्षति की संम्भावना है इसलिए वाद भूमि में दौरानें वाद यथास्थिति कायम रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान् को को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तथा दिनांक 25.07.2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की मूल वाद के निस्तारण तक पुष्टि की जाती है।

निर्णय दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल